तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8038/2006/श्रीगंगानगर सुगना बनाम राजा राम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री अजयपाल ढिढारिया अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** **दिनांक 08.10.2018** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, अनुपगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-11-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार उप जिला कलक्टर ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण ने जिस विवादित रास्ते की भूमि को स्वयं की खातेदारी में घोषित करवाने का वाद पेश किया, उसी भूमि बाबत् पूर्व में अप्रार्थी ने रास्ते के इन्द्राज को निरस्त कराने की कार्यवाही की गयी थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-9-2003 से खारिज कर दी तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। उनका कथन है कि विवादित रास्ते की भूमि का जब एक बार सक्षम न्यायालय से निर्णय हो चुका है तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य दुबारा उसी भूमि बाबत् कोई कार्यवाही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8038/2006/श्रीगंगानगर सुगना बनाम राजा राम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं चल सकती। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को भलीभांति नहीं समझ कर प्रार्थनापत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन कानूनी बिन्दू को नजरअन्दाज करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर वादी अप्रार्थी की ओर से विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत मूल वाद को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को विधिसम्मत् होना बताया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार द्वारा विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं सहवन से रिकार्ड में हुए रास्ते के अंकन को हटाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्धारण साक्ष्य उपरान्त ही होगा। उक्त दावा संधारण योग्य है अथवा नहीं, इसका निर्धारण दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त ही होगा। उनका कथन है कि इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं मूल वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8038/2006/श्रीगंगानगर सुगना बनाम राजा राम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् अधिकारों की घोषणा एवं सहवन से हुए रास्ते के अंकन को हटाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के लम्बित रहते प्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थनापत्र को निगराधीन आदेश से यह मानते हुए कि पूर्व में चक 7ए के काश्तकारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का इस वाद को कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वादीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा बाबत् प्रस्तुत वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित नहीं है, प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी एवं मूल वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर मूल वाद में तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दू निहित होना पाया जाता है, जिनका निर्धारण दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विवाघक विरचित करने के बाद उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त ही होगा। विभिन्न माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि घोषणा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में घोषणा एवं सहवन से हुए रास्ते के अंकन को हटाने बाबत् प्रस्तुत वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8038/2006/श्रीगंगानगर सुगना बनाम राजा राम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	